न्यायालयः जिला न्यायाधीश, धौलपुर

मुन्नी देवी बनाम जगन्नाथ व अन्य

मूल वाद सं. 20/2014

दिनांक 25.11.2025

वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। पुनः बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता का निवेदन रहा कि उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2023 का आंशिक निस्तारण हुआ है। इसलिए उस प्रार्थना पत्र पर सुना जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कहा है कि दिनांक 03.11.2023 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2024 को विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। इस आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा यादनामा को उपमहानिरीक्षक को पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय भरतपुर में भेजा गया जहां से वह पर्याप्त स्टाम्पित होकर आ चुका है लेकिन सहवन से वह मूल प्रति नहीं भेजी गई जिस कारण वह अंपजीकृत रह गया। इस बाबत् एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2024 को पेश किया गया। इस संबंध में वादी के अधिवक्ता का निवेदन रहा कि दिनांक 06.12.2024 को प्रस्तुत किसी प्रार्थना पत्र की कोई प्रति उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में दिनांक 06.12.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति आज अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। जिसका वह जवाब देना चाहते है। अतः पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.12.2024 दिनांक 02.12.2025 को पेश हो।

25/11/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)